न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–553/2020 (GCMS No. 2020/00578) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. प्रेम वेवा रघुवीर
2. रामखिलाडी पुत्र मनवती

} जाति जाटव निवासी ग्राम तरीमो तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. दिनेश सिंह पुत्र रामवीरसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमो तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 17/2020 उनवान प्रेम बनाम दिनेश सिंह निर्णय दिनांक 25.09.2020 अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

उपस्थितिः–

1. कृष्ण कुमार सिंघल, वकील अपीलान्ट
2. दिनेश शर्मा, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 17.04.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आवंटन आदेश दिनांक 25.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टान को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1922 ग्राम तसीमो में से प्रत्येक को रकवा 3 बीघा 5 विस्वा का आवंटन दिनांक 02.06.1989 को राजस्व अभियान ग्राम तसीमो पर आवंटित की गई तथा आवंटन के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पश्चात ही प्रत्येक आवंटी को मौके पर कब्जा दिया गया, उसी स्थान पर आवंटी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आवंटन के बाद राजस्व नक्शा में आवंटित रकवा के अनुसार अंकन नहीं किया गया। इसी खसरा नम्बर 1922 में से जगन्नाथ एवं जुम्मा को भी आवंटन हुआ परन्तु आवंटन नक्शे में तरमीम नहीं हुआ। जगन्नाथ व जुम्मा का कोई भौतिक कब्जा ख.नं. 1922 के किसी हिस्से पर पर नहीं था परन्तु तत्कालीन आई.अल.आर. द्वारा वर्ष 2009 में बिना सक्षम आदेश के नक्शा लट्ठा में दो नम्बर 2953/1922, 2969/1922 तरमीम कर अपने हस्ताक्षर कर दिये। उक्त अवैध तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। विवादित आराजी ख.नं. 1922 ग्राम तसीमो में से प्रत्येक अपीलांट को रकवा 3 बीघा 5 विस्वा आराजी का आवंटन राजस्व अभियान में आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 02.06.1989 को राजस्थान कोलोनाईजेशर (मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना) राजस्व भूमि आवंटन नियम 1963 के तहत मौके पर जॉच वाद आवंटित किया गया। जिसकी प्रीमियम जमा राजकोष उसी वक्त करा दी गई। आवंटन के पश्चात् ही प्रत्येक आवंटी को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। आवंटन के समय जिस स्थान पर अपीलान्टान को कब्जा दिया गया उसी स्थान पर आवंटी काबिज रहे और वर्तमान में भी उसी स्थान पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलान्टान के कब्जे काश्त की पुष्टि स्वयं पटवारी हल्का, तहसीलदार, एवं उपखण्ड अधिकारी सैपऊ द्वारा विभिन्न दिनांकों 17.09.15, 20.11.15, 28.04.16, 08.05.16, 10.05.16, 16.05.16, 26.07.16, 08.08.16 एवं 19.06.17 पर की गई मौका जॉच रिपोर्टों से स्पष्ट है। आवंटन के विरूद्ध अपील ग्राम पंचायत तसीमो द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 04.06.1990 द्वारा अपीलान्टान के पक्ष में हुये आवंटन को निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्टान द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.12.2000 को अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 04.06.1990 को निरस्त कर दिया गया तथा जिला कलक्टर धौलपुर को निर्देशित किया कि प्रार्थीगण/अपीलान्टान को किया

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गया आवंटन यथास्थिति रखा जावे एवं जिला कलक्टर व्यक्तिगत रूचि लेकर आवंटियों को आवंटित भूमि में उसी स्थान पर कब्जा दिलाये। उक्त निर्णय के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रिट दायर की गई जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.07.2013 को विड्रों के आधार पर खारिज करा लिया। इसं का तात्पर्य यह है कि अपीलान्टान को किये गये आवंटन कानूनन सही पाये गये तथा अपीलान्टान को स्वत्व राजस्व अभिलेख आवंटन से स्पष्ट प्रमाणित है.। खसरा नम्बर 1922 लगभग 65 बीघा था जिसमें से बहुत व्यक्तियों को आवंटन किया गया। इसी ख.नं. में से जगन्नाथ एवं जुम्मा को भी सन 1966 में आवंटन हुआ था परन्तु आवंटन के समय नक्शे में तरमीम नहीं हुआ। जगन्नाथ व जुम्मा का कोई भौतिक कब्जा ख.नं. 1922 के किसी भी हिस्से पर नहीं था लेकिन सन 2009 में तत्कालीन आई.एल.आर. श्री रामबाबू त्यागी द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के नक्शा लट्ठा में दो नम्बर 2953/1922 , 2969/1922 तरमीम कर अपने हस्ताक्षर कर दिये। नक्शा तरमीम करने का उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार का कोई आदेश नहीं था। इस तथ्य को उपखण्ड अधिकारी सैपऊ ने अपने पत्र दिनांक 16.05.2016 एवं तहसीलदार सैपऊ द्वारा पत्र क्रमांक भू.अ./2016/1772 दिनांक 08.08.2016 एवं 10.05.2016 में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा तरमीम के कोई आदेश पारित नहीं किये और उक्त तरमीम अवैध है। उक्त अवैध तरमीम के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राजात दर्ज होने से नामान्तकरण संख्या 3041 से जगन्नाथ एवं 3091 से जुम्मा के वारिसान के नाम गैर खातेदारी अंकित किये गये। नामान्तकरण संख्या 3109, 3110 से गैर खातेदार से खातेदार स्वीकार हुये उसके बाद वारिसान द्वारा रेस्पोडैन्ट दिनेश को आराजी का विक्रय किये जाने से इन्तकाल नम्बर 3114, 3115 से खातेदारी दर्ज हुई। अपीलान्टान/प्रार्थीगण गरीब तबके के अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। रेस्पोडैन्ट दिनेश उच्च ठाकुर जाति का है जो कि राजनैतिक व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी के टिकिट पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड चुका है। राजनैतिक दबाब के कारण रेस्पोडैन्ट दिनेश ने अपीलान्टान को उनके आवंटित रकवे से मौके पर कब्जा से बेदखल करने की धमकी दी तो अपीलान्टान को उक्त अवैध तरमीम की जानकारी हुई। अपीलान्टान ने अवैध नक्शा तरमीम को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया कि बिना काश्तकारी अधिकारों के अपीलान्टान के कब्जे को सद्भावी/विधिपूर्ण नहीं माना जाकर तरमीम में कोई हस्तक्षेप करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त फाईंडिंग पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के विरूद्ध है। अपीलान्टान का आवंटन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

द्वारा बहाल रखा गया तो राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी का इन्द्राज करने का दायित्व राजस्व कार्मिक तहसीलदार का है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात दर्ज न होने मात्र से अपीलान्टान के काश्तकारी अधिकारों/स्वत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से अपीलान्टान के हक में आवंटन के बहाल होने एवं समय समय पर पटवारी हल्का, तहसीलदार सैपऊ एवं उपखण्ड अधिकारी स्तर के अधिकारियों की मौका जॉच रिपोर्ट के आधार पर अवैध रूप से तरमीम किये गये खसरा नम्बर 2953/1922, 2969/1922 पर अपीलान्टान काबिज है और तरमीम शुदा रकबे पर खातेदारान जगन्नाथ, जुम्मा व रेसपोडैन्ट दिनेश का कब्जा काश्त नहीं है। पत्रावली राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने का कोई आदेश नहीं है। इन सभी से प्रथम दृष्टया यह सावित है कि राजस्व नक्शा लट्ठा पर जो तरमीम का नोट दिनांक 13.03.2009 को अंकित किया है वह बिना किसी सक्षम न्यायालय तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी के आदेश के है जो विधिपूर्ण नहीं है। राजस्व नक्शा में ख.नं. 2953/1922, 2969/1922 की तरमीम को मौका जॉच रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने रेसपोडैन्टान का कब्जा नहीं माना परन्तु रेस्पोडैन्टान से साज कर गैर खातेदार से खातेदार सनद के प्रार्थना पत्र में रेस्पो. का कब्जा गलत रूप से दर्शित किया गया जबकि दोनों रिपोर्ट के समय पटवारी वही था। इसी कारण तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही जारी है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि अपीलान्टान का उक्त स्थान पर कब्जा नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.11.2017 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि " तरमीम निरस्तीकरण/दुरूस्ती में यह देखा जाना है कि अप्रार्थी के नाम की जमीन पर जिस स्थान पर नक्शे में तरमीम की गई है उस स्थान पर अप्रार्थी का कब्जा है या नहीं।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को अवैध तरमीम एवं अप्रार्थी रेस्पो. का कोई कब्जा भूमि ख.नं. 1922 पर नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 131 स्वीकार कर अवैध तरमीम को निरस्त करने का आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का अपने निर्णय में बार बार यह अंकित करना कि टीनेन्सी अधिकार तय कराके उसके पश्चात ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। उक्त फाईडिंग पूर्णतया गलत है। अपीलान्टान को अपने टीनेन्सी अधिकार तय कराने की आवश्यकता नहीं है। अपीलान्टान अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकार हैं इसलिए राज्य सरकार द्वारा गठित आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन किया गया जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल रहा है। ऐसी स्थिति में तहसील राजस्व कार्मिकों को अपीलान्टान के नाम 10 वर्ष पश्चात खातेदारी दर्ज कर देनी चाहिए क्योंकि आवंटियों द्वारा आवंटन की किसी भी शर्तों का उल्लघन नहीं किया तथा आवंटित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

भूमि पर काबिज हैं। इसके पश्चात भी अपीलान्टान ने एक नियमित वाद भी किया हुआ है जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.09.2020 निरस्त किया जाकर नक्शा हाल में दुरूस्ती की जाकर ख.नं. 2953/1922, 2969/1922 ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ को नक्शें में जिस स्थान पर अंकित किया है उसे निरस्त किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर 2015 आरआरटी 608, 2021 आरआरटी 376, 2014 आरआरटी 1220, 2021 आरआरटी 1182, 2001 आरआरटी 1087, डीएनजे 2004(एससी) 263, एवं डीएनजे (REV) 235 प्रस्तुत किये।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्टान को 65 बीघा में से 6 बीघा 10 विस्वा जमीन का आवंटन हुआ था। रेस्पोडेन्ट 3 बीघा 8 विस्वा पर काबिज काश्त है। उक्त रकवा आपस में मेल नहीं खाते हैं। उक्त भूमि रेस्पोडैन्ट द्वारा जगन्नाथ से खरीदी गई है जो कि जगन्नाथ को 19.02.1966 में आवंटित हुई थी। दिनांक 05.01.1976 को जगन्नाथ के नाम नामान्तकरण खुलने पर गैर खातेदार दर्ज हो गया। आवंटन आदेश की तरमीम के अलग से कोई आदेश नहीं होते हैं। इसी खसरा नम्बर में और भी आवंटन हुये है जिनकी तरमीम भी बिना किसी आदेश के हुई हैं। वर्ष 2014 में जगन्नाथ के वारिसान ने खातेदारी कराने के लिए आवेदन किया। पटवारी, आई.एल.आर. एवं तहसीलदार की रिपोर्ट में रेस्पो. को काबिज बताया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 का निर्णय दिनांक 12.4.2014 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ के निर्णय दिनांक 12.04.2014 की पालना में दिनांक 04.06.2014 को दुरूस्ती की गई है तथा नक्शा लट्ठा में तरमीम के भी आदेश दिये गये हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि को रेस्पोडैन्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 24.06.2014 एवं 11.06.2014 से खरीदा गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडैन्ट के नाम नामा. संख्या 3114, 3115 खोले गये। नामान्तकरण में उक्त आराजी पर क्रेता के कब्जे का उल्लेख है। अपीलीय पत्रावली में प्रार्थना पत्र द्वारा ज्योती परमार सरपंच ग्राम पंचायत तसीमो द्वारा शिकायत की है कि पहले राजस्व कर्मचारियों ने सही रिपोर्ट आवंटी के हक में दी गई। हल्का पटवारी द्वारा दुवारा दबाब में गलत तरमीम की गई। इसी आधार पर सी.सी.ए. नियमों में कार्यवाही चालू की गई है। रेस्पोडैन्ट की आराजी पर अपीलान्टान को आवंटन नहीं किया गया। आवंटन शेष आराजी में से किया गया है। जिला कलक्टर ने किस तारीख को कब्जा दिलाया गया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलान्ट को स्पेशल आवंटन नहीं हुआ है। रेस्पोडैन्ट द्वारा जिससे जमीन खरीदी गई उसे वर्ष

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1966 में आवंटन हुआ और 1976 में गैर खातेदारी दी गई थी। कब्जा विषयक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। खसरा नम्बर 2945/1922 रकबा 22 बीघा में से 6 बीघा पर कब्जा है। अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही चलती रही है और बेदखल भी किया गया है। दिनांक 10.08.2016 को समर्थ पोर्टल पर दर्ज प्रकरण में परिवादी का नाम 1945/1922 में कोई भूमि दर्ज नहीं है परिवादी उक्त खसरा नम्बर में अतिक्रमी के रूप में काबिज का उल्लेख है। रेस्पोडैन्ट की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने के कारण एफ.आई.आर. संख्या 44/2016 दर्ज हुई है। पुलिस वृत्ताधिकारी के विरुद्ध इस्तगासा भी पेश किया गया। उसके बाद धारा 183 की कार्यवाही शुरू की गई। दिनांक 14.07.2016 से जबरदस्ती अपीलान्ट का कब्जा कराया गया। खसरा गिरदावरी में 1945/1922 पर ही कब्जा है। अपीलान्टान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के आदेश दिनांक 12.04.2014 उपखण्ड अधिकारी रौंपऊ को अभी तक चुनौती नहीं दी गई है। केवल अधिकारी/कर्मचारी के कहने मात्र व पत्र के हवाले से ही यह नहीं माना जा सकता कि तरमीम आदेश पारित नहीं किया गया और गलत रूप से पत्र लिखा है। स्वयं ने 2014 में तरमीम दुरूस्ती का आदेश दिया और स्वयं ने ही पत्र से मना किया जो गलत है। अतः अपील अपीलान्टान खारिज की जावे।

5. रिवीटल में वकील अपीलान्ट का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सैपऊ का धारा 136 एलआर एक्ट का निर्णय दिनांक 12.04.2014 को हुआ जबकि तरमीम नक्शे में 2009 में हुई है। वर्ष 2009 में तरमीम को कोई आदेश नहीं था। अपीलान्ट के हिस्से में लगभग 3 बीघा भूमि ही आती है। आराजी मेल खाती है। कब्जे बावत् नामान्तरण संख्या 3114, 315 की कोई जॉच नहीं की गई है। जिला कलक्टर द्वारा कब्जा दिलाया गया हैं इस्तगासा रेस्पोडैन्ट द्वारा किया गया और एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। कानूनन कब्जा दिलाया गया है। इसलिए इस्तगासा एवं एफ.आई.आर. में कोई कार्यवाही नहीं की। दोनों पक्षों को सुनकर ही तरमीम की कार्यवाही के लिए तहसीलदार को निदेर्शित किया गया है। रिकार्ड में नाम नहीं होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही की गई है जो कि गलत है।

6. बहस अपीलान्ट पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों की नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि को 3बीघा 5 विस्वा भूमि आवंटित की गई थी । राजस्व रिकार्ड में उक्त आवंटन का अंकन नहीं हुआ है । साविक खसरा नम्बर 1630 में से ही जगन्नाथ व जुम्मा को वर्ष 1966 मे 2–2 बीघा आराजी आवंटित हुई थी । दिनांक 20.12.1975 को नामान्तरकरण संख्या 421 से जगन्नाथ गैरखातेदार दर्ज होने के उपरान्त उसके वारिसान वर्तमान खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नम्बर 1953/1922 में बतौर गैरखातेदार काविज हुए । जुम्मा नामान्तरकरण संख्या 410 दिनाक 18.12.1975 से गैरखातेदारी दर्ज होने के उपरान्त जरिये विरासत नामान्तरकरण भूमि उसके वारिसान के नाम वर्तमान खसरा नम्बर 2969/1922 गैरखातेदारी दर्ज हुई । बन्दोबस्त पश्चात् नई जरीब की नाप भिन्न होने से राजस्व रिकार्ड में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सैंपउ के यहां धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 12.4.2014 से दुरुस्त होकर 1बीघा 14 विस्वा अंकित हुआ । न्यायालय के आदेश से तरमीम की पुष्टि की गई । जगन्नाथ व जुम्मा के वारिसान द्वारा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ,सैंपउ के यहां खातेदारी हेतु आवेदन किया समस्त विधिक औपचारिकाताओं के पश्चात् खातेदारी अधिकार जारी किए गये । इसके पश्चात् जगन्नाथ व जुम्मा के वारिसान द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 24.06.2014 व 11.06.2014 से खसरा नॅम्बर 2953/1922 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा तथा खसरा नम्बर 2969/1922 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा का बेचान रेस्पो0 संख्या 1 को कर दिया । नामान्तरण संख्या 3115/2114 से रेस्पो0 संख्या को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिसमें केता का कब्जा अंकित किया जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है ।

7. अपीलांट ने अपने कथनों में उल्लेख किया कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ,अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 27.12.2000 को अपील स्वीकार करते हुए जिला कलक्टर,धौलपुर को निर्देशित किया कि वह व्यक्तिगत रुचि लेकन आवंटियों को आवंटित भूमि के उसी स्थान पर कब्जा दिलाए, जबकि कब्जा दिलाने बावत कोई आदेश /दस्तावेज अपीलांट ने न तो अपील न्यायालय में और न ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किए। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 29.7.2016 को न्यायालय ए.सी.जे.एम.धौलपुर के यहां तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्व उनके कब्जे काश्त की आराजी पर अपीलांट को कब्जा कराने के आधार इस्तगासा पेश किया जो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही धारा 183 आर. टी.ए. के तहत खातेदारी की आराजी से अपीलांट बेदखली के लिए भी न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,सैंपउ के यहां विचाराधीन चल रहा है। जब तक अपीलांट खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जावे तब तक यदि विवादित आराजी पर कब्जा रहता है तो उसकी स्थिति एक अतिचारी के रुप में ही रहेगी। उप खण्ड अधिकारी द्वारा एक तरफ खातेदारी दी दूसरी तरफ उन्ही उप खण्ड अधिकारी ने उन्ही तत्कालीन पटवारी व उन्ही तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर विरोधाभासी रिपोर्ट पेश की। अतः खातेदारी नियम विरुद्व कैसे कही जा सकती है ?

8. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.0220 में न्यायालय की ओर से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खरिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

9. अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर दिनांक 25.09.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर